

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
 जी-३/१ अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक F.11(74)R&P/I C M/SJED/2014-15/ 60286

जयपुर, दिनांक.....20नवम्बर 2014

आदेश

अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में स्वर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के युवक युवतियों के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु "डा. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना" विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11/आरएण्डपी/ अन्तर्जातीय विवाह / सान्याअवि/ 61/82-82/ 54961-55111 दिनांक 27.11.2006 एवं 39546 दिनांक 01.04.2013 द्वारा योजना के नियम संख्या 3 एवं 4 में अकिंत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है तथा शेष शर्तें यथावत रहेगी।

विन्दु संख्या	संशोधित प्रावधान
2	<p>देय सहायता—</p> <p>(अ) युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नि के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के पदनाम के संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट (समय से पूर्व अदेय) 2.50 लाख रु</p> <p>(ब) युगल के पुनर्वास प्रयोजनार्थ घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिये संयुक्त बैंक खाते में के माध्यम से नगद सहायता 2.50 लाख रु</p> <p>कुल राशि 5.00 लाख रु</p>
3 (1)	विवाह का पंजीकरण करवाना होगा किन्तु वर/वधु की अभिकृतम आयु 35 वर्ष हो सकेगी और विवाह के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर सहायता के लिए आवेदन देना होगा ताकि अन्तर्जातीय विवाह की सामाजिक पहचान हो सके। सलंगन नवीन आवेदन-प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
3 (4)	ऐसे युगल में से जो युवक/युवति अनुसूचित जाति का न हो और वह दूसरे राज्य का निवासी हो तो उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके प्रान्त या राज्य में उसे अस्पृश्य नहीं माना जाता और वह हिन्दू धर्म का पालन करते हैं। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में निवास करना होगा किन्तु वह निश्चिक आजीविका पालन के लिए अस्थाई रूप से राजस्थान से बाहर निवास कर सकेगा।
3 (5)	ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष तक की हो और उसके पति या पत्नि जीवित न हो एवं मृत्यु आत्महत्या (सुसाईड) व हत्या से संबंधित न हो और उसे कोई संतान न हो उसे भी पुनर्विवाह करने पर इस योजना के तहत सहायता दी जायेगी बशर्ते कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की गई हो।

3 (6)	इस योजना के तहत अन्तर्राजीय विवाह करने वाले राजस्थान के अनुजाति पक्ष की संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर संबंधित निकाय के स्वयं के खर्च पर सम्मान समारोह आयोजित कर सकेंगे ताकि अस्पृश्ता व जातीय भेद को कम करने के साथ-साथ सामाजिक पहचान दी जा सके।
4	पात्र युगल में से राजस्थान राज्य के अनुजाति पक्ष को अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा।

अतः उक्त संशोधन आदेश दिनांक 01.12.2014 से प्रभावी होगे।

सलांग :- संशोधित आवेदन पत्र

N 20-11-15  
(आम्बरीष कुमार)  
निदेशक

क्रमांक F.11(74)R&P/I C M/SJED/2014-15/ 602 ६७-३७७

जयपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-।।) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
- 5 विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
- 6 वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 7 संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
- 8 जिला कोषाधिकारी,
- 9 उग निदेशक/सहायक निदेशक/ जि.परि.एवं स.क.अ. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
- 10 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वाले।
- 11 लेखाकार, ऑफिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
- 12 गार्ड फाईल।

N  
निदेशक

डॉ सविता वेन अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना आवेदन पत्र  
(नियम 3 के अनुसार)

सेवामें

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/  
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजपत्रित अधिकारी  
द्वारा प्रमाणित युगल  
की संयुक्त फोटो

महोदय,

हम अन्तर्राष्ट्रीय विवाह योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमारा (युगल का) विवरण निम्न प्रकार हैं—

वर (युवक—लड़का) पक्ष	वधु (युवती—लड़की) पक्ष
1. वर का नाम .....	1. वधु का नाम .....
2. पिता का नाम .....	2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....	3. जन्म तिथि .....
4. जाति .....	4. जाति .....
5. धर्म .....	5. धर्म .....
6. शैक्षणिक योग्यता .....	6. शैक्षणिक योग्यता .....
7. मूल निवास का पूर्ण विवरण – गांव/वार्ड .....	7. मूल निवास का पूर्ण विवरण – गांव/वार्ड .....
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय .....	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय .....
तहसील .....	तहसील .....
जिला .....	जिला .....
राज्य .....	राज्य .....
स्वयं के निवास अवधि का विवरण (जन्म से/.....वर्ष से)	स्वयं के निवास अवधि का विवरण (जन्म से/.....वर्ष से)
माता/पिता के निवास अवधि का विवरण (जन्म से/.....वर्ष से)	माता/पिता के निवास अवधि का विवरण (जन्म से/.....वर्ष से)
8. विवाह के पश्चात् निवास का पूर्ण विवरण— गांव/वार्ड .....	8. विवाह के पश्चात् निवास का पूर्ण विवरण— गांव/वार्ड .....
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय .....	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय .....
तहसील .....	तहसील .....
जिला .....	जिला .....
राज्य .....	राज्य .....
9. विवाह का विवरण – दिनांक विवाह .....	9. विवाह का विवरण – दिनांक विवाह .....
स्थान विवाह .....	स्थान विवाह .....
विवाह तिथि को उम्र .....वर्ष .....माह (विन्दु संख्या 3 के अनुसार)	विवाह तिथि को उम्र .....वर्ष .....माह (विन्दु संख्या 3 के अनुसार)
10. वर्तमान व्यवसाय..... व मासिक आय रुपये.....	10. वर्तमान व्यवसाय..... व मासिक आय रुपये.....

<p>11. विवाह पंजीकरण का विवरण –</p> <p>पंजीकरण कार्यालय का नाम..... (ग्राम पंचायत / शहरी निकाय)</p> <p>पंजीकरण दिनांक .....</p> <p>विवाह के समय मौजूद दो गणमान्य व्यक्तियों का विवरण (जो विवाह पंजीकरण के समय लिए गए)</p> <p>1. नाम ..... पिता का नाम..... जाति..... निवास का पता .....</p> <p>2. नाम ..... पिता का नाम..... जाति..... निवास का पता .....</p>	<p>11. विवाह पंजीकरण का विवरण –</p> <p>पंजीकरण कार्यालय का नाम..... (ग्राम पंचायत / शहरी निकाय)</p> <p>पंजीकरण दिनांक .....</p> <p>विवाह के समय मौजूद दो गणमान्य व्यक्तियों का विवरण (जो विवाह पंजीकरण के समय लिए गए)</p> <p>1. नाम ..... पिता का नाम..... जाति..... निवास का पता .....</p> <p>2. नाम ..... पिता का नाम..... जाति..... निवास का पता .....</p>
<p>12. यदि अन्तर्जातीय विवाह के पश्चात् किसी भी समय अलग-अलग रूप से रहें हैं तो विवरण –</p> <p>1. पृथक रहने का कारण .....</p> <p>2. पृथक रहने की अवधि एवं वर्ष .....</p>	<p>12. यदि अन्तर्जातीय विवाह के पश्चात् किसी भी समय अलग-अलग रूप से रहें हैं तो विवरण –</p> <p>1. पृथक रहने का कारण .....</p> <p>2. पृथक रहने की अवधि एवं वर्ष .....</p>
<p>13. हम दोनों राजस्थान के मूल निवासी हैं अथवा</p> <p>हम में से एक (नाम लिखें ..... ) राजस्थान का मूल निवास है और हमारे माता-पिता गत 5 वर्षों से राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। (अन्तर्जातीय विवाह करने वाले अन्य राज्य के व्यक्ति के माता-पिता)</p> <p>हम दोनों शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।</p> <p>संलग्न :</p> <p>1. विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।</p> <p>2. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।</p> <p>3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।</p> <p>4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति।</p> <p>5. जन्म तिथि के पुष्टि हेतु अधिकृत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र / जन्म प्रमाण-पत्र।</p> <p>स्थान .....</p> <p>दिनांक .....</p>	<p>हस्ताक्षर :</p> <p>पति (वर) .....</p> <p>पत्नी (वधु) .....</p>
<p>जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति बाबत् प्रमाणीकरण</p> <p>प्रस्तुत आवेदन पत्र योजना गाइड लाइन के अनुरूप स्वीकृत योग्य होने से स्वीकृत किया जाता है।</p>	
<p>हस्ताक्षर मय दिनांक जिला स्तरीय विभागीय जिला अधिकारी</p>	